(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15 / 2024

रजिस्ट्रेशन सं. :– 2024 / 48

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री बालकृष्ण बंसल पुत्र श्री रमेशचंद जाति महाजन निवासी 55, पंचायत समिति के सामने, उपकार सेल्स एजेन्सी, छीपाबड़ौद जिला बारां (विक्रेता) मैसर्स उपकार सेल्स एजेन्सी, हरनावदाशाहजी रोड, छीपाबड़ौद जिला बारां
2. श्रीमति प्रिया कुमारी पत्नी श्री बालकृष्ण निवासी बागडी मौहल्ला, छीपाबडौद जिला बारां (मालिक) मैसर्स उपकार सेल्स एजेन्सी, हरनावदाशाह रोड, छीपाबड़ौद जिला बारां
3. मैसर्स उपकार सेल्स एजेन्सी, हरनावदाशाह रोड, छीपाबड़ौद जिला बारां
4. श्रीमति रीना नागर पत्नी श्री बालकृष्ण निवासी बंजारों की बस्ती, सुभाष चिल्ड्रन विद्यालय के पास, खेडा जगपुरा रानपुर जिला कोटा (मालिक) मैसर्स नागर ट्रेडिंग कंपनी, बंजारों की बस्ती, 201–के, सुभाष चिल्ड्रन विद्यालय के पास, खेडा जगपुरा जिला कोटा
5. मैसर्स नागर ट्रेडिंग कंपनी, बंजारों की बस्ती, 201–के, सुभाष चिल्ड्रन विद्यालय के पास, खेडा जगपुरा जिला कोटा
6. श्रीमती कृष्ण कुमार पुत्र श्री दौलतराम निवासी 1779 विष्णु कॉलोनी, थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा 136118 (मालिक) मैसर्स भारद्वाज ट्रेडिंग कंपनी, अंबेडकर चौक थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा 136118
7. मैसर्स भारद्वाज ट्रेडिंग कंपनी, अंबेडकर चौक थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा 136118
8. श्री राम कुमार बंसल पुत्र श्री रतिराम निवासी खुराना रोड, गली नं. 4, लक्ष्मी विहार कॉलोनी, वार्ड नं. 4 कैथल हरियाणा 136027 (मालिक) मैसर्स अग्रवाल मिल्क फूड इंडस्ट्रीज, खुराना रोड, कालूवाली गमरी, कैथल हरियाणा–136027
9. मैसर्स अग्रवाल मिल्क फूड इंडस्ट्रीज, खुराना रोड, कालूवाली गमरी, कैथल हरियाणा–136027

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएस एक्ट 2006, रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्र.1 ता 5 एवं 8,9)
3– श्री रामकुमार बंसल कम्पनी प्रतिनिधि (अप्रार्थी क्र. 6 एवं 7)

निर्णय दिनांक 08.04.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.06.2023 को मैसर्स उपकार सेल्स एजेन्सी, हरनावदाशाहजी रोड, छीपाबड़ौद जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री बालकृष्ण बंसल पुत्र श्री रमेशचंद महाजन (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.06.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार [illegible] अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला [illegible] तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **श्याम सुदन प्रीमियम देशी घी मूल गत्ते पैक** 16 लीटर के लगभग आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **श्याम सुदन प्रीमियम देशी घी मूल गत्ते पैक** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **श्याम सुदन प्रीमियम देशी घी मूल गत्ते पैक** 02 लीटर मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री बालकृष्ण बंसल पुत्र श्री रमेशचंद महाजन (विक्रेता) को 1140/– रूपये (अक्षरे ग्यारह सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **श्याम सुदन प्रीमियम देशी घी मूल गत्ते पैक** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1887 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1887 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री बालकृष्ण बंसल पुत्र श्री रमेशचंद महाजन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/328 दिनांक 19.07.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1186/PHL/Kota/Act/2023/1191 दिनांक 11.07.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(Zx) **अवमानक** (Substandard) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1,2,3,4,5,8 एवं 9 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 6 व 7 की ओर से प्रतिनिधि के रूप में मय Authorisation Latter श्री राम कुमार बंसल द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **श्याम सुदन प्रीमियम देशी घी मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक**(Substandard) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ **श्याम सुदन प्रीमियम देशी घी मूल गत्ते पैक** की जांच रिपोर्ट में Prescribed standards (24.0%) एवं प्राप्त Result (23.18%) में कुछ Points का ही अंतर है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1186/PHL/Kota/Act/2023/1191 दिनांक 11.07.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **श्याम सुदन प्रीमियम देशी घी मूल गत्ते पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1186/PHL/Kota/Act/2023/1191 दिनांक 11.07.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (Substandard) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 6,7,8,9 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/—रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **08.04.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested